



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092022-238787
CG-DL-E-14092022-238787

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4087]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 13, 2022/भाद्र 22, 1944

No. 4087]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2022/BHADRA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2022

का. आ. 4268(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3356(अ) दिनांक 22.07.2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के गांदेरबल जिले में NH1 के कि.मी. 69 से कि.मी.82 (जेड मोड टनल इन्क्लुडिंग अप्रोच ऑन श्रीनगर सोनमर्ग सेक्शन इन द स्टेट ऑफ जे एण्ड के) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 03.08.2022 को "राइसिंग कश्मीर" और "द डेली आफताब" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के गांदेरबल जिले में NH1 के कि.मी. 69 से कि.मी.82 (जेड मोड टनल इन्क्लुडिंग अप्रोच ऑन श्रीनगर सोनमर्ग सेक्शन इन द स्टेट ऑफ जे एण्ड के) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: गांदेरबल		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: गुंड				
	गांव का नाम: सोनमर्ग				
1	118	निजी	मैदानी	0.02125	बशीर अहमद पुत्र अब्दुल रहमान मीर नि. कंगन (118 मिन)
2	124	सरकारी	मैदानी	0.19625	राज्य सरकार (124 मिन)
3	153	निजी(शामलात देह)	मैदानी	0.3436	सजाद अहमद और शबीर अहमद पुत्र मो0 युसुफ वानी नि. कंगन, जावेद अहमद पुत्र मो0 सिद्धीकी शेख, दिलबर व मुस्ताक अहमद पुत्र अहद मीर नि. देह, (मकबूजियत के अनुसार शीर्षक, शामलात और हस्बी रसद बार रुक्बा मजरोह बुनियाद की धारा-5 के मापदंड) (153 मिन)
			कुल	0.5611	

[फा. सं. NHIDCL/PMU-SMG/ZMORH/LA/2021-22/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2022

S. O. 4268(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 3356(E) dated 22.07.2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and

operation of NH1 on the stretch of land from Km. 69 to Km. 82 (Z-Morh Tunnel including Approaches on NH-01 Srinagar-Sonamarg Section in the UT of J&K) in the district of GANDERBAL in the state of JAMMU & KASHMIR.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Rising Kashmir” and “The Daily Aftab” both dated 03.08.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH1 in the stretch of land from Km. 69 to Km. 82 (Z-Morh Tunnel including Approaches on NH-01 Srinagar-Sonamarg Section in the UT of J&K) in the district of GANDERBAL in the state of JAMMU & KASHMIR.

State: JAMMU & KASHMIR			District: GANDERBAL		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Gund				
	Village: Sonmarg				
1	118	Private	Maidani	0.02125	Bashir Ahmad s/o Abdul Rehman Mir R/o Kangan 118 Min
2	124	Government	Maidani	0.19625	Govt./Sarkar 124 Min
3	153	Private(Shamlat Deh)	Maidani	0.3436	Sajad Ahmad and Shabir Ahamad s/o Mohd Yousuf wani R/o Kangan, Javaid Ahmad s/o Mohd Sidiq Sheikh, Dilbar and Mustak Ahmad s/o Ahad Mir R/o Deh (titel as per maqbooziyat and norms of section 5 of shamlat and hasbi rasad bar Ruqba mazroah Buniyad) 153 Min
			TOTAL	0.5611	

[F. No. NHIDCL/PMU-SMG/ZMORH/LA/2021-22/3D]

RAJESH GUPTA, Director